

23/12/24

पत्रावली पेश हुई वकील पत्रकारान् उपर है  
 T. I. पत्रिका पत्र पर बहस सुनी गरी पत्रिका  
 बहस व पत्रावली अवलोकनानुसार T. I. का  
 पत्र मूल वाक के अन्तिम निरुद्ध तक  
 कर्म की जान है पत्रावली फँसल  
 शमार हीकर पत्र नम्बर से कम थी  
 आदेश खुले मासालय में सुनाया गया

*(Signature)*

अखण्ड अधिकारी  
 सॉफ्टवेयर

